राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141– 2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः एफ–3(ख)/नोटिस/2017–18/अलेसे–II 2418 दिनांक– 08.02.2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री महावीर शाक्यावाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी, बांरा से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बांरा में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शाक्यावाल द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री शाक्यावाल को निदेशालय की वेवसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री महावीर शाक्यावाल तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 08.02.2018 मध्यान्ह पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते है कि श्री शाक्यावाल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल–jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141–2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

साथ ही इसके अतिरिक्त श्री महावीर शाक्यावाल को निर्देश दिये जाते है कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में **कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें** अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः एफ–3(ख)/नोटिस/2017–18/अलेसे–II 2418 दिनांक–08.02.2018

प्रतिलिपिः–

1. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बांरा।
2. कोषाधिकारी, बांरा।
3. श्री महावीर शाक्यावाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II कार्यालय कोषाधिकारी, बांरा।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

उपनिदेशक, कम्प्यूटर अपलोड हेतु